संख्या 11030/28/87-अ0भा0से0(1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29.7.87

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के
मुख्य सचिव ।

विषय :- भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली - ऐसे अधिकारियों को संशोधित वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि की मंजूरी दिया जाना जो नियत वेतन पर संशोधन-पूर्व वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे थे ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954, के नियम 5 के उप नियम (3-ए) के तीसरे परन्तुक के अन्तर्गत, एक वर्ष से अधिक की अवधि से वेतनमान के अधिकतम वेतनमान पर प्रगतिरोध होने के कारण सेवा के ऐसे सदस्यों को 1.1.1986 की स्थिति के अनुसार, जो एक से अधिक वर्षों से 1.1.1986 को 3000/- रूपये का एक नियत वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें वेतन में वृद्धि दिए जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है । यह निर्णय किया गया है कि, चूंकि नियत वेतन के मामले में न तो कोई न्यूनतम वेतन होता है और न ही कोई अधिकतम वेतन, अत: उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत, 1.1.1986 से अगली वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । तदनुसार, ऐसे अधिकारी जो 1.1.1986 से पहले रूपये 3000 का नियत वेतन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 12 महीने की अवधि पूरी हो जाने के बाद अर्थात् 1.1.1987 को रू0 7300 - 7600 के संशोधित वेतनमान में अपनी अगली वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे । यह आदेश भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के

.....2/-

सदस्यों पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होते हैं ।

भवदीय,

(वी० आर० श्रीनिवासन)
उप सचिव (से०)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सभी राज्यों के महा लेखाकार ।
3. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ।
4. गृह मंत्रालय (आई० पी० एस० अनुभाग) ।
5. गृह मंत्रालय (यू० टी० एस० अनुभाग) ।

(वी० आर० श्रीनिवासन)
उप सचिव (सेवाएं)

*****